संख्या-3/2-ई.एम./2009-का-4-2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013

विषयः- सेवा संवर्गों की समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों का निराकरण किये जाने के संबंध में, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24.5.2012, दिनांक 7.1.2013 एवं दिनांक 19.8.2013 के द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों, विभागाध्यक्षों, मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः आपको निम्नवत् निर्देशित करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है-

(1) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। जिन मांगों को शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, उन्हें समय से शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

(2) विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारियों तथा विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों के द्वारा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय। जिन समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा सम्भव न हो, को संबंधित विभागाध्यक्षों को संदर्भित कर दिया जाय।

(3) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा उन्हें संदर्भित की गयी मांगों पर तथा सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मासिक रूप से बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय। ऐसी मांगें, जिनका निराकरण उनके द्वारा सम्भव न हो सके, को संबंधित प्रशासनिक विभागों को संदर्भित कर दिया जाय।

(4) प्रदेश स्तर के सेवा संगठनों की मांगों/समस्याओं तथा विभागाध्यक्षों द्वारा संदर्भित की गयीं मांगों के संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा प्रत्योक माह की 05 तारीख तक संबंधित सेवा संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आहूत कर, मांगों का निराकरण कराया जाय।

(5) जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर सम्भव न हो, को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभागीय सुझाव के साथ कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त उक्त मांगें निर्णय हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जा सकें।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-2-ई.एम./2009(1)-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in